मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-10

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2008 (फाल्गुन 21, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(प्रश्न संख्या-15 (क्रमांक 2063) "रीगल टाकीज की लीज निरस्तीकरण" तथा प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक-84) "इंदौर में क्रिस्टल आई.टी.पार्क का विकास" पर चर्चा के दौरान श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 94 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 90 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री दरबूसिंह उइके, सदस्य द्वारा सदन में पोस्टर प्रदर्शित करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनुचित बताते हुए समझाइश दी गई)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ.आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र मऊगंज के विकास खण्ड, हनुमना नई गढ़ी एवं मउगंज में पेयजल की समस्या होने;

(2) श्री किशोर समरीते, सदस्य ने लांजी थाना परिसर क्षेत्र में अतिक्रमण होने;

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने सीतामऊ तहसील के ग्राम राउटी व लावरी में नवीन विद्युत ग्रिड बनाने;

(4) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र खातेगांव के अधिकांश हैण्डपंपों के बंद होने;

(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले के विजयपुर राजस्व वृत्त के सौ से अधिक गांवों में पाला पड़ने से फसलें नष्ट होने;

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों के निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने तथा

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने प्रदेश के पुरातात्विक, धार्मिक एवं पर्यटक महत्व के नगरों एवं प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त स्थलों की उपेक्षा होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6061-एफ-आर.एस-6-2007-तेरह, दिनांक 19 सितम्बर, 2007,

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002,

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(4) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू", राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007; तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम,1980 (क्रमांक 18 सन् 1980)की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001,

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

(6) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 तथा

(7) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2005-2006 का उनपचासवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2006 तक) पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा तथा रामनिवास रावत, सदस्यों ने वन विभाग द्वारा वन ग्रामों के विकास हेतु सीमेंट क्रय एवं परिवहन के भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले की राजगढ़ एवं खिलचीपुर तहसील के ग्रामों में गंभीर पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 141-बैतूल से निर्वाचित सदस्य, श्री शिवप्रसाद राठौर ने विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

7. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

दिनांक 10 मार्च, 2008 की चर्चा के क्रम में डॉ.गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने अपना भाषण देना प्रारम्भ किया।

(ऊर्जा मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर, श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के सदस्यगण गर्भगृह में आकर बैठे एवं नारेबाजी की। वे कुछ समय पश्चात् अपने स्थान पर वापस गए तथा सदन से बहिर्गमन किया)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने अपना भाषण पूर्ण किया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए एक सौ पांच करोड़, सतहत्तर लाख, अट्ठावन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए एक सौ इकतालीस करोड़, छियानवे लाख, पांच हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 11	1, 6
मांग संख्या - 21	2

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(7) श्री लाल सिंह आर्य

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) श्री आरिफ अकील
(9) श्री किशोर समरीते
(10) श्री राजेन्द्र शुक्ल

श्री जयंत मलैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उनकी बात न सुने जाने के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए एक हजार तीन सौ तेइस करोड़, इकहत्तर लाख, तैंतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए तीन सौ तिराने करोड़, सत्ताईस लाख, सैंतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 46	विज्ञान और टेक्नालाजी के लिए चौदह करोड़, अट्ठावन लाख, पचास हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए तीन सौ करोड़, नब्बे लाख, चौरानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए तैंतालीस करोड़, पन्द्रह लाख रूपये तथा

अनुदान संख्या - 76 लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो सौ सत्तावन करोड़, सत्ताईस लाख रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 24	12, 14
मांग संख्या - 46	1, 3
मांग संख्या - 67	1, 4
मांग संख्या - 69	1
मांग संख्या - 76	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता
(3) श्री रामलखन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(8) श्री रामनिवास रावत
(9) श्री बाबूलाल महाजन
(10) श्री राजनारायण सिंह पूरनी
(11) श्री आरिफ अकील
(12) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(13) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(14) श्री दुर्गालाल विजय
(15) श्री किशोर समरीते
(16) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला
(17) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(18) श्री ओमप्रकाश खटीक

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.55 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2008 (फाल्गुन 22, शक संवत 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.